सं.24/278/2014-पब्लिक
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
****

नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली
दिनांक 05 अगस्त, 2014

सेवा में,

श्री अरूण कुमार सिंह,
ग्राम व पोस्ट- चाचिकपुर,
जनपद- अम्बेडकर नगर,
उत्तरप्रदेश- 224141

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी ।

कृपया आप अपने उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक 10.07.2014 जो कि इस मंत्रालय के पब्लिक अनुभाग में इस मंत्रालय के आर.टी.आई. अनुभाग से दिनांक 25.07.2014 को सूचना प्रदान करने के लिए प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें । आपके द्वारा आवेदन पत्र में वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराया जाता है कि भारत के राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का गायन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा इस मंत्रालय के द्वारा जारी "भारत के राष्ट्र गान के संबंध में आदेश" के द्वारा विनियमित होता है । राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का हिन्दी पाठ (Text) "भारत के राष्ट्र गान के संबंध में आदेश" तथा अंग्रेजी पाठ (Text) "Orders Relating to the National Anthem of India" में वर्णित है। राष्ट्रगान का बंग्ला पाठ इस मंत्रालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।"भारत के राष्ट्र गान के संबंध में आदेश" तथा इसका अंग्रेजी संस्करण "Orders Relating to the National Anthem of India" इस मंत्रालय के बेबसाइट "www.mha.nic.in" पर जनसामान्य के अवलोकन के लिए उपलब्ध है ।

2. राष्ट्रगान का हिन्दी तथा अंग्रेजी में उद्धरण (extract) कुल 2 पृष्ठ के हैं, यदि आप इनकी प्रति प्राप्त करना चाहते है तो आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल ₹4/- (प्रति पृष्ठ ₹2/) नकद भुगतान या बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जो कि "लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" के पक्ष में देय हो, इस मंत्रालय में जमा कराया जाना अपेक्षित है ताकि आपको वांछित दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध करायी जा सके ।

3. इस मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा नं 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

श्या. मोहन
(श्यामला मोहन)
निदेशक एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

प्रति, उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक शून्य की एक प्रति के साथः अनुभाग अधिकारी (आई.टी. सेल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को इस मंत्रालय के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

CR-317685/[illegible]/2014 — 25/07

[illegible]

नई दिल्ली, दिनांक : 24/07/2014

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ अरुण कुमार सिंह का आवेदन।

* * * * * * *

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री ~~श्रीमती/सुश्री~~ अरुण कुमार सिंह के दिनांक 10.07.2014 के आवेदन (इस न्यायालय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अंतरण द्वारा दिनांक 23.07.2014 को प्राप्त) की प्रशासन प्रति को अंतरित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्राधिकरण के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाए।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क मानव संसाधन विकास मंत्रालय ~~[illegible]~~ के तहत जमा कर दिया है। ~~[illegible]~~

संलग्नक : यथोपरि

सु. श्यामं
([illegible])
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
निदेशक (एस्टेट)
[illegible] मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ अरुण कुमार सिंह
ग्राम व पोस्ट — चांदिकपुर
जनपद — अम्बेडकर नगर — 224141 (उ.प्र.)

उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए तत्संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।

Dy.No.4163/RTI/2014
23/7/14

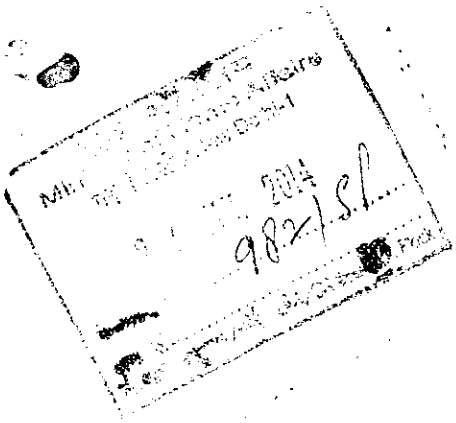

सं. एफ 1–4/2014 आईएफसी
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110 001
दिनांक 21, जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 –

श्री अरूण कुमार सिंह (उ.प्र.) का दिनांक 10.07.2014 आवेदन (जो इस विभाग में दिनांक 18.07.2014 को प्राप्त हुआ है) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई के लिए स्थानान्तरित किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन शुल्क प्राप्त हो गया है।

कृप्या मांगी गई सूचना आवेदनकर्ता को सीधे भेज दी जाए।

(के.एस.महाजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

RTI

सेवा में,

Dir (Adv)

केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय,
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति श्री अरूण कुमार सिंह, ग्राम व पोस्ट–चाचिक पुर, जनपद – अम्बेडकर नगर – 224 141 (उ.प्र.) को सूचानार्थ प्रेषित, कृप्या आगे का पत्राचार उपरोक्त सूचना अधिकारी से करें।

(के.एस.महाजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवामें,

जनसूचना अधिकारी
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 06 के अंतर्गत जनसूचना प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया संलग्न अभिव्यक्ति का संज्ञान लेना चाहें। प्रार्थी की इस अभिव्यक्ति पर श्री भगवती सिंह, पाठ्य पुस्तक अधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद-उत्तर प्रदेश, के साथ हुई चर्चा में श्रद्धेय विद्वान द्वारा राष्ट्रगान में 'सिंधु' शब्द को तर्कपूर्ण व न्यायसंगत बताया गया। चर्चा से स्वाभाविक जिज्ञासा के फलतः इण्टरनेट पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया जिसमें अंग्रेजी संस्करण में 'सिन्ध' तथा हिन्दी संस्करण में 'सिन्धु' शब्द विद्यमान है। जिज्ञासा शमन हेतु प्रार्थी राष्ट्रगान के हिन्दी, अंग्रेजी तथा बंगला संस्करण की प्रामाणिक प्रतियों की अपेक्षा करता है।

अतः प्रार्थी को उक्त तीनों संस्करण की प्रामाणिक प्रतियाँ उपलब्ध कराये जाने की कृपा की जावे।

दिनांक- 10.07.2014
संलग्नक- पोस्टल आर्डर
① 27F-976201 ₹10
② 27F-976202 ₹10

प्रार्थी
(हस्ताक्षर)
(अरुण कुमार सिंह)
अध्यक्ष
जू० हा० स्कूल शिक्षक संघ-भीटी
जनपद- अम्बेडकर नगर
मो० 9450495943

पत्र व्यवहार का पता-
अरुण कुमार सिंह (शिक्षक)
ग्रा० व पो०- चाचिक पुर
जनपद - अम्बेडकर नगर
(उ०प्र०)
224141

Dispatch No
34116/2014
34117/2014

MHA

RECD. ... Dev.
FS-71982/14
17 JUL 2014
उच्चतर शिक्षा विभाग
Deptt. of Higher Education
नई दिल्ली/New Delhi

हमारा राष्ट्रगान और आम आदमी

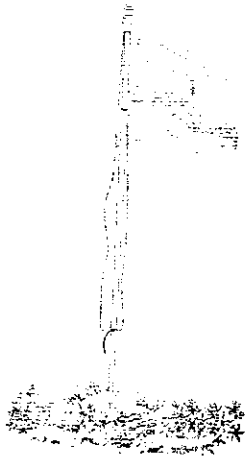

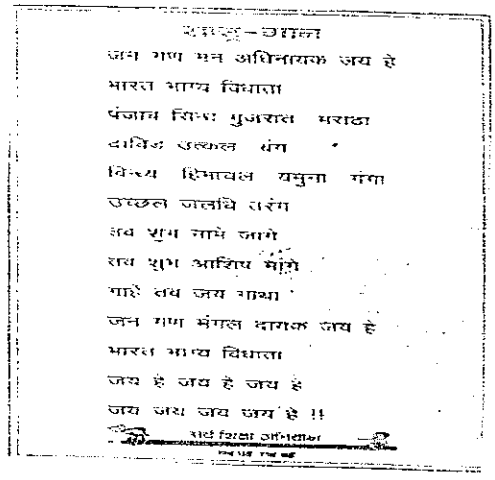

क्या आपको राष्ट्रगान आता है ?..... बेशक आता होगा तो बताइए राष्ट्रगान के इन दो नमूने में कौन सा सही है ?.....'आपने ठीक कहा यह वाला सही है।' क्या आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यही वाला सही है और एक दम सही है? यदि आप मेरी तरह आम आदमी हैं तो निश्चित रूप से आपका विश्वास डगमगा गया होगा। आपने जिस भी संस्था से अपने राष्ट्रगान को सीखा होगा उसकी क्षमता विश्वसनीयता को परखने पर विवश हो गये होगें। यदि आप आम आदमी न होकर इससे सम्बन्धित जिम्मेदार व पदासीन या विशिष्ट व्यक्ति हैं तो आपसे थोड़ी देर के लिए इन्तजार का अनुरोध करूँगा. पहले आम आदमी से बात कर लूँ।

यूनेस्को द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगान' का गौरव पाने पर 'जन–गण–मन.....'गाने वाले अरबों देशवासी गौरवान्वित हुए और खुशी से छलकी आँखों से पूज्य गुरूदेव 'ठाकुर रवीन्द्रनाथ टैगोर' को याद किया। राष्ट्रगान को लेकर कई बार विवाद खड़े हुए हैं, इसलिए मै पहले से स्पष्ट कर दूँ कि मेरी मनसा कतई किसी विवाद को खड़े करने की नही है। मेरी अभिव्यक्ति इसकी शुद्धता, एकरूपता व उसके प्रति आस्था से जुड़ी है। एक अरब से अधिक आबादी वाले इस देश में राष्ट्रगान को भली प्रकार से गाने वालों की संख्या भले ही लाखों करोडों में हो मगर इसको शुद्ध रूप से विराम चिह्नों के साथ लिख पाने वालों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम होगी। देश बहुत बड़ा है मेरे पास ना कोई अध्ययन है और न ही किसी सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़े। इस लिए आप मान सकतें हैं कि मैने अपने आसपास लगभग अपने प्रदेश पर अपनी उक्त अभिव्यक्ति दी है।

यहाँ दो नमूने दिये गये हैं उनमें एक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों के आवरण पृष्ठ और दूसरा राज्य परियोजना निदेशालय लखनऊ द्वारा प्रकाशित प्रशिक्षण हस्त पुस्तिका 'करके सीखें विज्ञान' के आवरण पृष्ठ से लिया गया है। एक में 'सिन्धु' और दूसरे में 'सिन्ध' शब्द अंकित है। अभी कुछ दिन पूर्व इसी शब्द को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। एक नमूने को आप गौर करें तो विराम चिन्हों का आश्चर्यजनक रूप से लोप है जो अपने आप में हमारी जिम्मेदार संस्थाओं के गैरजिम्मेदाराना कार्य व्यवहार का जीवन्त प्रमाण है।

हर व्यक्ति का किसी न किसी धर्म या धर्मो से जुड़ाव है। 'राष्ट्रधर्म' उनमें सर्वश्रेष्ठ होता है। धर्म का एक अहम पहलू है 'आस्था'। ऐसा नही है कि हमारी आस्था में कोई कमी है। राष्ट्रीय पर्वों सहित बड़े–बड़े खेल आयोजनों में हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जो आस्था प्रकट करते हैं वह बेमिसाल है। परन्तु हमारी आस्था में निरन्तरता का आभाव है। पूज्य प्रतीकों से युक्त कार्डो को घूर गड्ढों पर देखकर क्या आपको अफसोस नही होता? जब भी किसी तिरंगे को इसी तरह रास्तो पर पैरों तले कुचलता देखता हूँ तब हृदय विदीर्ण हो जाता है। इतनी बड़ी संख्या में छपने वाले आवरण पृष्ठों पर 'प्यारा तिरंगा' व 'राष्ट्रगान' छपते रहे तो हमारे हृदय को ऐसे अनगिनत अघातों को सहना पड़ेगा। ऐसा सब कुछ इस लिए होता है क्योंकि हम आस्था को अपनी उर्जा मानकर हृदय में संचित करने के बजाय उसके प्रदर्शन पर अधिक विश्वास करते हैं। बस आपसे इतना ही.....

भंत! आपको बहुत इन्तजार करना पड़ा, क्षमा चाहूँगा। आपके सामने हमारी औकात ही क्या है जो मै यह कहूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए या ऐसा नही करना चाहिए। आम आदमी को आपसे कुछ उम्मीदे हैं उसकी चाहत पूरी कर दें यही आपसे प्रार्थना है।

अरूण कुमार सिंह (शिक्षक)
उच्च प्राथमिक विद्यालय, हृदयपुर
विकास खण्ड–भीटी, अम्बेडकरनगर
सम्पर्क–9450495943